बजट 2023-24

सहकारिता की नींव होगी सुदृढ़

-नीलमेघ चतुर्वेदी

वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने वर्ष 2023-24 के बजट प्रस्तावों में प्राथमिक कृषि सहकारी साख संस्थाओं (पेक्स) की कम्प्यूटरीकरण परियोजना संसद के विचारार्थ रखी है। कम्प्यूटरीकरण के बाद पेक्स कार्यप्रणाली ठीक उसी प्रकार होगी, जिस प्रकार आधार केंद्र या पासपोर्ट कार्यालय की। फलस्वरूप पेक्स में पारदर्शिता, दक्षता, जवाबदेही, लेन-देन में शुद्धता और लाभार्जन होंगे। लगभग 13 करोड़ किसान परोक्ष रूप से बुनियाद से शीर्ष तक व्यवस्था से जुड़ेंगे। प्रत्यक्ष लाभ प्रणाली (डीबीटी) द्वारा खातों में राशि हस्तांतरण ठीक वैसे ही होगा, जैसे कि नेफ्ट या आरटीजीएस द्वारा बैंकों में होता है। किसानों के लिए सॉयल हेल्थ कार्ड योजना क्रियान्वयन के बाद यह दूसरी सबसे बड़ी परियोजना होगी।

केंद्र सरकार ने प्राथमिक कृषि सहकारी साख संस्थाओं (पेक्स) के सुदृढ़ीकरण की दिशा में तीन महत्वपूर्ण कदम रखे हैं। ये हैं- पेक्स के लिए कम्प्यूटरीकरण परियोजना, आदर्श और लचीली उपविधियों का निर्माण और इन्हें राज्यों के विचारार्थ प्रेषित करना तथा दुग्ध सहकारी आंदोलन की तर्ज पर जैविक उत्पादों की तैयारी तथा विपणन के लिए सहकारी संरचना का गठन।

वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने वर्ष 2023-24 के बजट प्रस्तावों में प्राथमिक कृषि सहकारी साख संस्थाओं (पेक्स) की कम्प्यूटरीकरण परियोजना संसद के विचारार्थ रखी है। इसके कार्यान्वयन के संबंध में सूचना प्रौद्योगिकी समर्थ सेवाओं के धरातल पर परियोजना की कुल लागत 2516 करोड़ रुपये है। परियोजना के ज़रिए तीन चरणों में 63 हज़ार क्रियाशील पेक्स कम्प्यूटरीकृत होंगे।

प्रत्येक पेक्स में एकीकृत सूचना प्रौद्योगिकी समर्थ सेवाओं की स्थापना पर कुल 3.91 लाख रुपये खर्च होंगे। इसमें केंद्र 60 प्रतिशत, राज्य सरकारें 30 प्रतिशत और नाबार्ड 10 प्रतिशत राशि वहन करेगा। वर्ष 2022-23 में 13 हज़ार, 2023-24 में 20 हज़ार तथा वर्ष 2024-25 में 30 हज़ार पेक्स कम्प्यूटरीकृत होंगे।

कम्प्यूटरीकरण के बाद पेक्स कार्यप्रणाली ठीक उसी प्रकार होंगी, जिस प्रकार आधार केंद्र या पासपोर्ट कार्यालय की। सदस्य-असदस्य की बायोमेट्रिक सूचनाएं पेक्स में दर्ज होंगी। व्यवहार के समय सूचनाओं के मिलान होने पर ही प्रक्रियाएं आगे बढ़ेंगी। फलस्वरूप पेक्स में पारदर्शिता, दक्षता, जवाबदेही, लेन-देन में शुद्धता और लाभार्जन होंगे। अखिल भारतीय स्तर

- पेक्स में दर्ज होंगी बायोमेट्रिक सूचनाएं
- आधार और पासपोर्ट कार्यालय जैसी प्रणाली
- सूचनाओं के मिलान पर ही प्रक्रिया आगे बढ़ेगी
- कम्प्यूटरीकृत प्रणाली से जुड़ेंगे 13 करोड़ किसान
- कम्प्यूटरीकरण परियोजना की कुल लागत 2516 करोड़ रुपये
- प्रत्येक पेक्स पर खर्च होंगे 3.91 लाख रुपये
- पेक्स उतरेंगी 25 नए कारोबार में

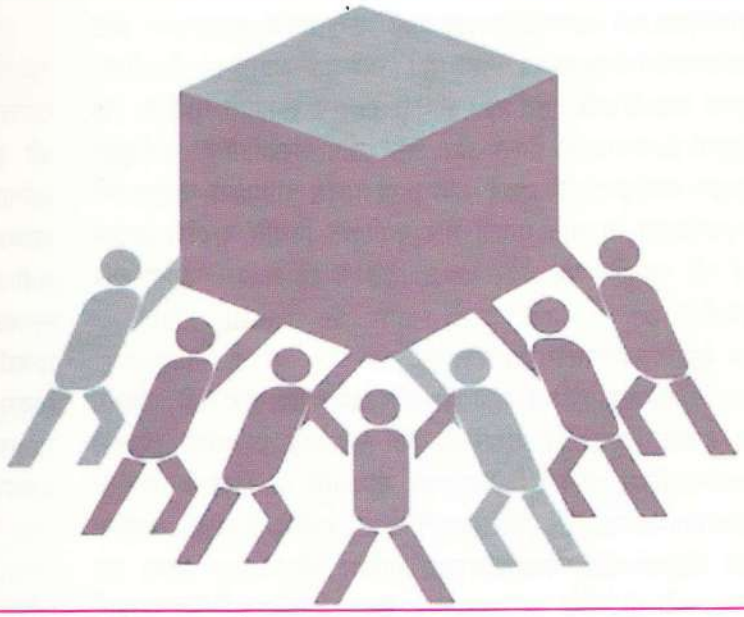

लेखक वरिष्ठ पत्रकार हैं। मीडिया मेनेजमेंट इन कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूशंस में पीएच-डी; देवी अहिल्या मीडिया स्टडीज़ विश्वविद्यालय, इंदौर, मध्य प्रदेश में विज़िटिंग प्रोफेसर हैं। लेख में व्यक्त विचार निजी हैं।

ई-मेल : neelmeghc@gmail.com

केंद्र की योजना पेक्स को ग्राम समूह स्तर पर नोडल व्यावसायिक एजेंसी के रूप में खड़ा करने की है। मिसाइल मेन डॉ एपीजे अब्दुल कलाम का सपना 'पुरा' (प्रोवाइडिंग अर्बन एमिनिटिज़ इन रूरल एरिया) ज़मीन पर उतरेगा। पेक्स उस मॉल की तरह होगी जैसे किसी शहर में होती हैं। तब पेक्स आत्मनिर्भर भारत, सहकार से समृद्धि और 5 लाख ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था में उल्लेखनीय योगदान के योग्य होंगी।

पर पेक्स की व्यवहार प्रणाली एकरूपता धारण करेगी। लगभग 13 करोड़ किसान परोक्ष रूप से बुनियाद से शीर्ष तक व्यवस्था से जुड़ेंगे। प्रत्यक्ष लाभ प्रणाली (डीबीटी) द्वारा खातों में राशि हस्तांतरण ठीक वैसे ही होगा, जैसे कि नेफ्ट या आरटीजीएस द्वारा बैंकों में होता है। किसानों के लिए सॉयल हेल्थ कार्ड योजना क्रियान्वयन के बाद यह दूसरी सबसे बड़ी परियोजना होगी।

पेक्स कम्प्यूटरीकरण योजना लगभग तीन दशक पूर्व विचारों में थी, किंतु आगे नहीं बढ़ सकी। पृथक सहकारिता मंत्रालय के गठन के बाद देश के प्रथम सहकारिता मंत्री अमित शाह का ध्यान इस ओर गया। उसी दौर में वे अहमदाबाद ज़िला सहकारी केंद्रीय बैंक के अध्यक्ष रहे। सहकारिता की नस-नस से वाकिफ होने से उनका ध्यान पेक्स की सबसे बड़ी समस्या के समाधान की ओर गया। देश में कृषि सहकारी साख संरचना त्रि और द्वि-स्तरीय है। इनमें राज्य सहकारी और ज़िला सहकारी केंद्रीय बैंक तो कम्प्यूटरीकृत हैं, किंतु पेक्स नहीं। कतिपय राज्यों में कुछ पेक्स का कम्प्यूटरीकरण हुआ किंतु इनके सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर में एकरूपता नहीं है। नतीजतन सूचना प्रौद्योगिकी समर्थ सेवाओं की दृष्टि से एकीकृत स्वरूप स्थापित नहीं है। नई योजना में देशभर में पेक्स और अन्य शीर्ष संस्थाओं के कम्प्यूटर संजाल एकीकृत होंगे। वर्ष 1904 के प्रथम सहकारी कानून की प्रभावशीलता के बाद पहली बार एकीकृत स्थिति बनेगी। वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर पेक्स 2-3 दिन में ही नतीजे घोषित कर सकेंगी।

63 हज़ार पेक्स का नया अवतार

केंद्रीय सहकारिता मंत्रालय की पहल पर देश की लगभग 63 हज़ार क्रियाशील प्राथमिक कृषि सहकारी संस्थाओं (पेक्स) के दिन फिरने वाले हैं। पेक्स अब दीर्घावधि के कर्ज़ वितरण के साथ लगभग ऐसे 25 कारोबार में कदम रखेंगी, जिसकी कल्पना नहीं की गई थी। पेक्स कारोबार विस्तार की दिशा में बाधा बन रहे कानूनी प्रावधानों को बदलने के लिए आदर्श उपविधियां राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को भेज दी गई हैं।

आदर्श उपविधियों की तैयारी के लिए नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट (नाबार्ड), कौंसिल फॉर कोऑपरेटिव ट्रेनिंग (एनसीसीटी), वैकुंठ मेहता राष्ट्रीय सहकारी प्रशिक्षण संस्थान (वेम्निकॉम) और राज्यों के राज्य सहकारी बैंकों (अपेक्स बैंक्स) की समिति गठित की गईं। समिति से इस संदर्भ में सुझाव माँगे गए। समिति के सुझावों को सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में संबंधित घटकों को भेजा गया। इनसे प्राप्त प्रतिक्रिया के आधार पर आदर्श उपविधियां तैयार कर सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को सांकेतिक स्वरूप में भेजी गई। वहाँ की पेक्स इन प्रारूप आदर्श उपविधियों को निश्चित ही अंगीकार करेंगी और यह कदम उनके दिन पलटाने वाला होगा। पेक्स तब कालातीत हो चुके अनुपयोगी और ऐसे कानूनों से छुट्टी पा सकेंगी, जो उनके विकास मार्ग के बीच चट्टान की तरह खड़े हैं।

आदर्श उपविधियों को अंगीकृत करने के बाद पेक्स अंधेरे कुएं से बाहर निकल विकास पथ पर तेज़ी से डग भरेंगी। दशकों पुराने कानूनी प्रावधानों के जाल से बाहर निकल, नए कारोबार क्षेत्रों में प्रवेश करने पर पेक्स का नया अवतार अब सामने होगा।

सीमित कारोबारी व्यवस्था में बँधी देश की प्राथमिक कृषि सहकारी संस्थाएं अत्यल्प लाभार्जन मार्जिन के चलते भारी संकट के दौर से गुज़रती हैं। परंपरागत व्यवसाय मॉडल यानी किसानों को नकदी साख सीमा, अल्पावधि और मध्यवधि कर्ज़ वितरण तथा सार्वजनिक वितरण प्रणाली संचालन के चलते ये न तो अपेक्षित लाभार्जन की स्थिति में हैं और न ही किसानों की पर्याप्त सेवा करने योग्य। केंद्र द्वारा तैयार आदर्श उपनियमों को आत्मसात कर पेक्स कानूनी बाधाओं को दूर कर 'सहकार से समृद्धि' में पर्याप्त योगदान करेंगी।

कई सालों से समय-समय पर गठित अनेक समितियों ने 'पेक्स' के लिए मॉडल बिज़नेस प्लॉन बनाए, किंतु ये वास्तविक धरातल पर नहीं उतरे। फलस्वरूप कृषि सहकारी साख आंदोलन की बुनियाद मज़बूत नहीं हो सकीं। इसका प्रभाव भी सहकारी आभामंडल के धुंधला होने की तरह सामने आया। केंद्र में पृथक सहकारिता मंत्रालय के गठन के बाद मोदी सरकार के सहकारिता मंत्री अमित शाह ने इस विसंगति की ओर ध्यान दिया। उन्होंने संस्थानों की संयुक्त समिति गठित कर प्रगतिशील आदर्श उपनियम बनाने के लिए सुझाव मांगे और प्राप्त प्रतिक्रिया के आधार पर यह कदम उठाया। सुझाव सांकेतिक और लचीले हैं। इन्हें लागू करना या नहीं, इसका निर्णय 'पेक्स' को ही करना है। इसमें केंद्र की बाध्यता नहीं है।

'पेक्स' अकल्पनीय क्षेत्रों में

आदर्श उपनियमों के ज़रिए पेक्स बहुउद्देश्यीय सेवा केंद्रों के ज़रिए उन 25 नए क्षेत्रों में प्रवेश करेंगी, जिनकी कभी कल्पना नहीं की थी। इनमें कॉमन सर्विस सेंटर संचालन, दीर्घावधि यानी 7 से 15 साल की अवधि के कर्ज़ वितरण, कृषि मशीनरी,

उपकरणों की बिक्री, गैस, डीज़ल, पेट्रोल पंप, स्वच्छता गतिविधियां संचालन, जींस उपार्जन, संग्रहण, पैकेजिंग, ब्रॉण्डिंग तथा वितरण यानी मूल्यवर्धित (वेल्यू एडेड) उत्पादों की ब्रिक्री, रेशम पालन जैसे क्षेत्रों को बढ़ावा देना सम्मिलित है। अभी तक पेक्स केवल एक साल के अल्पावधि और 7 साल के मध्यावधि कर्ज़ ही दे सकती थीं। दीर्घावधि कर्ज़ के लिए किसान अन्य एजेंसियों की ओर रुख करते थे, नतीजतन कानूनी बाधाओं के चलते बड़ा व्यवसाय पेक्स के हाथों से छूटता था और किसान भी परेशान होते थे। उम्मीद है कि प्रस्तावित आदर्श उपविधियों को अंगीकृत करने के बाद ये समस्याएं दूर होंगी।

जैविक उत्पाद क्षेत्र में भी 'श्वेत' जैसी क्रांति की तैयारी

केंद्र सरकार ने श्वेतक्रांति जैसी 'जैविक उत्पाद क्रांति' भारत के खेतों और बाज़ारों में उतारने की तैयारी की है। इसका लक्ष्य श्वेतक्रांति के समान है। यानी बिचौलियों को हटा अधिकतम लाभ किसानों के खातों में पहुँचाना। इसके लिए स्तरीय संजाल स्थापित होगा। योजना की झंडाबरदार राष्ट्रीय जैविक उत्पाद सहकारी संस्था होगी। सहकारी संरचनाओं द्वारा जैविक उत्पादों के उत्पादन, खरीद, प्रमाणन और ब्रिकी को बढ़ावा देने का संजाल बनेगा।

> जैविक उत्पाद क्रांति के ज़रिए पाँच लक्ष्य साधे जाएंगे। इनमें शीर्षस्थ से धरातली सहकारिताओं में सहकारिता, मिट्टी, स्वास्थ्य पर ध्यान, रासायनिक खाद पर निर्भरता में कमी, जैविक खेती के देशी-विदेशी बाज़ारों की संभावनाओं का दोहन और बाज़ार से बिचौलियों को हटा अन्नदाता किसान को सीधे फायदा पहुँचाने जैसे उपाय सम्मिलित हैं। इन उपायों के ज़रिए 'आत्मनिर्भर भारत' और 'सहकार से समृद्धि' का लक्ष्य सधेगा।

भारत सरकार ने इस दिशा में प्रतिबद्धता प्रदर्शित कर अखिल भारतीय स्तर की जैविक उत्पाद सहकारी समिति के गठन का निर्णय लिया है। बहुराज्यीय सहकारी संस्थाएं अधिनियम 2002 के तहत गठित इस संस्था के पाँच प्रवर्तक संस्थान हैं। केंद्र सरकार के दो सार्वजनिक उपक्रम नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड (एनडीडीबी), राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (एनसीडीसी) तथा तीन शीर्ष सहकारी संस्थान-गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन (उत्पाद ब्रॉण्ड अमूल), नैफेड (राष्ट्रीय कृषि तथा सहकारी विपणन महासंघ) और राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता महासंघ (एनसीसीएफ) 20-20 करोड़ रुपये की अंशपूंजी से राष्ट्रीय सहकारी संस्था की स्थापना करेंगे। वर्तमान में किसान जैविक उत्पाद तैयार करते हैं। बिचौलिए किसानों से सस्ते में जैविक उपज खरीद प्रमाणन करवा ऊँचे दामों पर बाज़ार में बेचते हैं। इससे उत्पादक को कम और बिचौलियों को अधिक फायदा होता है। प्रस्तावित बहुराज्यीय सहकारी संस्था की अधिकृत अंशपूंजी 500 करोड़ रुपये होगी, जिसमें प्रवर्तकों की प्रारंभिक हिस्सेदारी 20-20 करोड़ रुपये से धीरे-धीरे बढ़ाकर 100-100 करोड़ रुपये की जाएगी। इस प्रकार राष्ट्रीय सहकारी संस्था के पास 500 करोड़ रुपये के अंश पूंजीगत आधार पर आ जाएंगे। साथ ही, राज्य के शीर्ष, ज़िला संगठनों और पेक्स के साथ अखिल भारतीय ताना-बाना तैयार होगा।

सदस्य-असदस्य होंगे प्रशिक्षित

जैविक खेती, उपार्जन, ब्रॉण्ड विकास तथा विपणन को बढ़ावा देने के लिए किसानों को प्रशिक्षित किया जाएगा। वर्तमान में देश में जैविक उत्पादों का बाज़ार करीब 27 हज़ार करोड़ रुपये का है, और इसकी सालाना विकास दर 20 से 25 प्रतिशत है, जो अंतरराष्ट्रीय बाज़ार की विकास दर (10 से 15 प्रतिशत) से काफी अधिक है। इस प्रकार भारतीय जैविक उत्पाद का घरेलू और वैश्विक परिदृश्य संभावनाओं से भरा है। इसके दोहन के लिए उच्च स्तर का प्रशिक्षण देने की ज़रूरत केंद्रीय सहकारिता मंत्रालय ने अनुभव की है। यह दायित्व भी राष्ट्रीय सहकारी संस्था अपने संजाल के ज़रिए वहन करेगी।

अमूल मॉडल और जैविक खेती उत्पाद

केंद्रीय सहकारिता मंत्रालय ने जैविक खेती क्षेत्र में भी वही मॉडल ज़मीन पर उतारने की योजना बनाई है जो श्वेतक्रांति के पितामह डॉ. वर्गीस कुरियन ने दुग्ध उत्पादक किसानों के लिए प्रारंभ में गुजरात की ज़मीन पर उतारी थी। श्वेतक्रांति का लक्ष्य बिचौलियों को हटा उत्पादक किसानों को लाभान्वित कर उपभोक्ताओं का कुपोषण दूर करना था। श्वेतक्रांति की सफलता से ग्रामीण भारत की मुंडेर पर संपन्नता के दीप जगमग हैं। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह की सोच है कि अमूल मॉडल को जैविक उत्पाद के क्षेत्र में भी उतारा जाए। इससे 'सहकार से समृद्धि' का सपना और मज़बूती से देश की ज़मीन पर उतरेगा।

क्यों है महत्वपूर्ण जैविक उत्पाद

मोदी सरकार की सॉयल हेल्थ कार्ड योजना देश की लगभग 14 करोड़ कृषि जोतों (होल्डिंग्स) के लिए बनाई गई। इससे मिट्टी की तासीर उसी प्रकार रिकार्ड पर आई जिस प्रकार इंसानों की पैथालॉजिकल रिपोर्ट। कई जोतों में ज़रूरत से अधिक रासायनिक खाद के चलते मिट्टी बंजर होने की स्थिति सामने आई और वहीं उपभोक्ताओं पर भी अनेक बीमारियों के हमले हुए। इस समस्या का समाधान जैविक खेती यानी प्राकृतिक खाद का उपयोग कर उत्पादन लेने और बाज़ार में बेचने में निहित है। राष्ट्रीय सहकारी संस्था द्वारा पेशेवर अंदाज में इसे ज़मीन पर उतारा जाएगा। ❑